

गांधीजी का ग्राम स्वराज और आधुनिक पंचायती राज प्रणाली में इसकी प्रासंगिकता

सुधीर कुमार

राजनीति विज्ञान, विभाग

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

सारांश :-

महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज भारतीय समाज के आत्मनिर्भर और विकेंद्रीकृत लोकतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना थी। गांधीजी का मानना था कि भारत का विकास तभी संभव है जब हर गांव आत्मनिर्भर, नैतिक और स्वतंत्र हो। ग्राम स्वराज एक ऐसी व्यवस्था है जहां गांव अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों को खुद हल कर सके। इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण, सामाजिक समानता, स्थानीय संसाधनों का उपयोग और जन भागीदारी जैसे तत्व शामिल हैं। आधुनिक पंचायती राज प्रणाली, जिसे 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा संस्थागत किया गया, गांधीजी के ग्राम स्वराज के आदर्शों के अनुरूप है। इसका उद्देश्य सत्ता को निचले स्तर तक पहुंचाना और ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना है। पंचायती राज प्रणाली त्रि-स्तरीय ढांचे (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद) पर आधारित है और स्थानीय निर्णय लेने में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। महिलाओं और हाशिये पर खड़े समुदायों के लिए आरक्षण, स्थानीय कराधान के अधिकार और विकास के विभिन्न आयामों पर ध्यान केंद्रित करना इस प्रणाली के प्रमुख पहलू हैं।

गांधीजी के ग्राम स्वराज और पंचायती राज प्रणाली में विकेंद्रीकरण, समावेशिता, और आत्मनिर्भरता जैसे पहलू समान हैं। वर्तमान समय में, पंचायती राज प्रणाली ग्राम स्वराज के आदर्शों को आत्मनिर्भर भारत अभियान और सतत विकास लक्ष्यों के माध्यम से पुनर्जीवित कर सकती है। इन पर ध्यान देकर और गांधीजी के आदर्शों को लागू करके ग्रामीण भारत को सशक्त बनाया जा सकता है। इस प्रकार, गांधीजी का ग्राम स्वराज आज भी भारतीय लोकतंत्र और पंचायती राज प्रणाली में अत्यधिक प्रासंगिक है।

मुख्य शब्द :- सशक्त, आत्मनिर्भर, स्वराज, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग, भागीदारी।

गांधीजी का ग्राम स्वराज मुख्य तत्व

गांधीजी का ग्राम स्वराज एक ऐसी अवधारणा है जो आत्मनिर्भरता, सीमित सरकार और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। यह विचार भारतीय समाज के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और सशक्तिकरण के लिए एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत करता है।

1. आत्मनिर्भरता

गांधीजी का मानना था कि ग्राम स्वराज का पहला और सबसे महत्वपूर्ण तत्व आत्मनिर्भरता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक गांव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो। उन्होंने कृषि, खादी और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने पर बल दिया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित हो सके। गांधीजी का कहना था कि अगर गांव आत्मनिर्भर होंगे, तो देश अपने आप मजबूत होगा। आत्मनिर्भरता के माध्यम से गांवों में गरीबी और पलायन जैसी समस्याओं को कम किया जा सकता है।

2. सीमित सरकार

गांधीजी के अनुसार, ग्राम स्वराज का दूसरा प्रमुख तत्व सीमित सरकार है। उनका विचार था कि प्रत्येक गांव एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करे और अपने निर्णय लेने के लिए स्वायत्त हो। उन्होंने केंद्रीकरण का विरोध किया और विकेंद्रीकरण का समर्थन किया ताकि सत्ता का वितरण समाज के प्रत्येक स्तर तक हो। उनके अनुसार, सरकार का कार्य केवल मार्गदर्शन और सहयोग करना है, न कि ग्रामीण समाज पर नियंत्रण रखना।

3. लोकतांत्रिक मूल्य

गांधीजी ने ग्राम स्वराज को लोकतंत्र के मूल्यों से जोड़ा। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को समाज के विकास और निर्णय लेने की प्रक्रिया में समान अधिकार होना चाहिए। उन्होंने सत्य, अहिंसा और समानता को लोकतांत्रिक समाज का आधार बताया। उनके अनुसार, एक आदर्श गांव वह है जहां जाति, धर्म और सामाजिक भेदभाव से ऊपर उठकर सभी लोग मिलकर काम करें और अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें।

4. सामाजिक समानता

गांधीजी के ग्राम स्वराज में सामाजिक समानता का स्थान सर्वोपरि था। वे मानते थे कि एक सशक्त समाज का निर्माण तभी संभव है जब उसमें जाति, धर्म, लिंग और सामाजिक वर्गों के आधार पर कोई भेदभाव न हो। उनके अनुसार, ग्राम स्वराज का मुख्य उद्देश्य हर व्यक्ति को समान अवसर और अधिकार प्रदान करना है। उन्होंने हरिजनों (दलितों) के उत्थान के लिए विशेष अभियान चलाए और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। साथ ही, महिलाओं की शिक्षा, स्वावलंबन और समाज में उनकी भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। गांधीजी ने समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के जरिए समानता प्रदान करने की वकालत की।

5. स्थानीय संसाधनों का उपयोग

स्थानीय संसाधनों के कुशल उपयोग को गांधीजी ग्राम स्वराज की सफलता का मूल मानते थे। उनका मानना था कि गांवों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों और श्रमशक्ति का सही इस्तेमाल गांवों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बना सकता है। खादी और कुटीर उद्योग जैसे प्रयासों से उन्होंने इस सोच को व्यवहारिक रूप दिया। गांधीजी का विचार था कि प्रत्येक गांव अपनी आवश्यकताओं को स्थानीय स्तर पर ही पूरा करे ताकि बाहरी निर्भरता कम हो। उन्होंने कृषि, पशुपालन और हस्तशिल्प को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, बल्कि पर्यावरण संतुलन भी बना रहता है।

6. शिक्षा और स्वास्थ्य

ग्राम स्वराज में शिक्षा और स्वास्थ्य को मानव जीवन की आधारशिला माना गया। गांधीजी ने बुनियादी शिक्षा को आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावहारिक और जीवनोपयोगी शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया, जो किसानों, श्रमिकों और दस्तकारों को उनके काम में कुशल बनाए। इसी प्रकार, उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं और स्वच्छता के महत्व को रेखांकित किया। उनका मानना था कि स्वच्छता, उचित पोषण और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं से गांवों में रोगों को नियंत्रित किया जा सकता है।

आधुनिक पंचायती राज प्रणाली

आधुनिक पंचायती राज प्रणाली भारत के ग्रामीण प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत शासन की स्थापना करना और स्थानीय जनता को शासन में सक्रिय भागीदारी का अवसर प्रदान करना है। महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सिद्धांतों से प्रेरित, पंचायती राज प्रणाली को भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से कानूनी स्वरूप दिया गया। पंचायती राज प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण विकास को सशक्त और प्रभावी बनाना है। यह प्रणाली त्रि-स्तरीय संरचना पर आधारित है, जिसमें ग्राम पंचायत (गांव स्तर), पंचायत समिति (ब्लॉक स्तर), और जिला परिषद (जिला स्तर) शामिल हैं। इस प्रणाली के तहत, स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि गांवों की समस्याओं का समाधान करते हैं और विकास परियोजनाओं को संचालित करते हैं।

पंचायती राज प्रणाली ग्रामीण समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देती है। इस प्रणाली में महिलाओं और अनुसूचित जातिध्वनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, जिससे समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनने का अवसर मिलता है। पंचायती राज प्रणाली ग्रामीण स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़क, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं को सुधारने में मदद करती है। यह प्रणाली विकेंद्रीकृत योजना और निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाती है। आधुनिक पंचायती राज प्रणाली ग्रामीण भारत में न केवल विकास को गति देती है, बल्कि समाज में समानता, सहभागिता और जिम्मेदारी की भावना भी स्थापित करती है। यह प्रणाली देश के लोकतांत्रिक ढांचे को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का एक सशक्त माध्यम है।

पंचायती राज के मुख्य पहलू

1. त्रि-स्तरीय प्रणाली

पंचायती राज व्यवस्था त्रि-स्तरीय संरचना पर आधारित है, जो इसे व्यवस्थित और प्रभावी बनाती है। ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर) यह पंचायती राज की आधारभूत इकाई है। ग्राम पंचायत गांव के विकास, स्वच्छता, शिक्षा और जल आपूर्ति जैसे कार्यों का संचालन करती है।

ग्रामसभा, जिसमें गांव के सभी वयस्क नागरिक शामिल होते हैं, पंचायत के फैसलों पर निगरानी रखती है। पंचायत समिति (ब्लॉक स्तर) पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर विभिन्न ग्राम पंचायतों के समन्वय का कार्य करती है। यह क्षेत्रीय विकास योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन करती है। जिला परिषद (जिला स्तर) जिला परिषद पूरे जिले के विकास कार्यों की योजना बनाती है और पंचायत समितियों का मार्गदर्शन करती है। यह सबसे बड़ी इकाई है और सरकारी फंड का प्रबंधन करती है।

2. आरक्षण प्रणाली

पंचायती राज प्रणाली में आरक्षण प्रणाली का प्रावधान ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के वंचित वर्गों और महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किया गया है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से लागू किया गया, जिसमें महिलाओं, अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) को स्थानीय शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। आरक्षण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य इन वर्गों को सामाजिक और राजनीतिक मुख्यधारा में लाना और उनके लिए समान अवसर प्रदान करना है।

महिलाओं के लिए पंचायतों में कम से कम 33% सीटें आरक्षित की गई हैं, हालांकि कई राज्यों में इसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। इस पहल ने महिलाओं को न केवल राजनीतिक रूप से सशक्त किया है, बल्कि उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी सुधार किया है। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी ने स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, और महिलाओं के अधिकारों जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। इसी प्रकार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान समाज के इन वर्गों को सशक्त बनाने के लिए किया गया है। यह प्रावधान उनके लिए पंचायतों में नेतृत्व का अवसर प्रदान करता है, जिससे उनकी समस्याएं और आवश्यकताएं शासन की प्राथमिकता बनती हैं। यह प्रणाली सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के साथ-साथ भेदभाव को कम करने में सहायक है। हालांकि, आरक्षण प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन में चुनौतियां भी हैं। कई बार यह देखा गया है कि आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधियों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में पूरी स्वतंत्रता नहीं मिलती।

इसके अलावा, उन्हें नेतृत्व और प्रशासन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और समर्थन की भी कमी होती है।

आरक्षण प्रणाली पंचायती राज प्रणाली का एक महत्वपूर्ण तत्व है, जो सामाजिक और राजनीतिक समावेश को बढ़ावा देता है। इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जागरूकता, प्रशिक्षण, और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी को प्रोत्साहन देना आवश्यक है।

3. वित्तीय शक्तियां

पंचायती राज प्रणाली को सशक्त और स्वायत्त बनाने के लिए वित्तीय शक्तियों का प्रावधान अनिवार्य है। वित्तीय स्वतंत्रता और संसाधनों की उपलब्धता ही पंचायतों को प्रभावी शासन और विकास कार्यों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायतों को स्थानीय स्तर पर कर संग्रह, अनुदान, और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं। पंचायतें कर, जैसे कि मकान कर, बाजार शुल्क, और जल कर, लगाने का अधिकार रखती हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार से मिलने वाले अनुदान और निधियों का उपयोग पंचायतें स्थानीय विकास परियोजनाओं के लिए करती हैं। यह वित्तीय स्वायत्तता पंचायतों को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़क, जलापूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए संसाधन प्रदान करती है। पंचायती राज प्रणाली में वित्तीय स्वतंत्रता का अभाव भी एक बड़ी चुनौती है। कई बार पंचायतों को समय पर अनुदान नहीं मिलता, जिससे विकास कार्यों में देरी होती है। इसके अलावा, कई पंचायतें अपनी कर वसूली की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पातीं। वित्तीय पारदर्शिता की कमी और अनियमितताओं के कारण ग्रामीण विकास की योजनाएं प्रभावित होती हैं। वित्तीय शक्तियों के प्रभावी उपयोग के लिए पंचायतों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए। डिजिटल तकनीक का उपयोग करके वित्तीय प्रबंधन को पारदर्शी बनाया जा सकता है। इसके अलावा, पंचायतों को अपनी आय बढ़ाने के लिए नए संसाधन विकसित करने और वित्तीय योजनाओं का कुशलता से संचालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

वित्तीय शक्तियां पंचायती राज प्रणाली की रीढ़ हैं, जो इसे आत्मनिर्भर और प्रभावी बनाती हैं। पंचायतों को सशक्त करने के लिए वित्तीय स्वतंत्रता और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

4. निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी

पंचायती राज प्रणाली में ग्रामसभा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां पर गांव के सभी वयस्क नागरिक भाग लेते हैं और विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेते हैं। इससे शासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है।

5. स्थानीय विकास

पंचायती राज स्थानीय स्तर पर विकास को गति देने का साधन है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़कों और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने में सहायक है। इसके माध्यम से ग्रामीण जनता की समस्याओं को सीधे और प्रभावी तरीके से हल किया जाता है।

प्रासंगिकता वर्तमान समय में पंचायती राज प्रणाली

1. स्थानीय समस्याओं का समाधान

पंचायती राज प्रणाली स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए एक प्रभावी माध्यम है। ग्राम स्तर पर जल आपूर्ति, स्वच्छता, सड़कों की मरम्मत, और शिक्षा जैसे मुद्दे सीधे पंचायतों द्वारा सुलझाए जा सकते हैं। यह प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं को समझने और उनके लिए उपयुक्त समाधान प्रदान करने में सक्षम है। इसके माध्यम से विकेंद्रीकृत निर्णय प्रक्रिया तेज और प्रभावी हो जाती है।

2. महिला सशक्तिकरण

पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण ने उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर दिया है। इससे न केवल ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, बल्कि उनके नेतृत्व कौशल का भी विकास हुआ है। पंचायतों में महिलाओं की सक्रिय भूमिका ने सामाजिक मुद्दों जैसे घरेलू हिंसा, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार लाने में मदद की है।

3. आत्मनिर्भर भारत अभियान

आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में पंचायती राज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह स्थानीय उद्योगों, कुटीर उद्योगों और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देता है। स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में प्रयास किए जा सकते हैं, जिससे गांवों की आत्मनिर्भरता बढ़ती है।

4. सतत विकास

पंचायती राज प्रणाली सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक प्रभावी माध्यम है। सतत विकास का उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाना है। ग्रामीण भारत में पंचायतें स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं को लागू करने और सतत विकास के लक्ष्यों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण, स्वच्छता, हरित ऊर्जा, और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर विशेष ध्यान केंद्रित करती हैं। जल स्रोतों के प्रबंधन, वर्षा जल संचयन और जलाशयों की मरम्मत जैसे कार्यों से पानी की समस्या को दूर करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही, पंचायतें स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण स्वच्छता में सुधार और खुले में शौच को समाप्त करने की दिशा में काम करती हैं।

कृषि क्षेत्र में, सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए जैविक खेती और जलवायु अनुकूल तकनीकों को अपनाने में पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, हरित ऊर्जा, जैसे सोलर पैनल और बायोगैस संयंत्र, के उपयोग को बढ़ावा देकर पंचायतें पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करती हैं। सामाजिक पहलुओं में, पंचायतें शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देती हैं। सतत विकास लक्ष्यों के तहत स्वास्थ्य सेवाओं और स्वच्छता सुविधाओं का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है।

सतत विकास के प्रयासों में पंचायतों को वित्तीय संसाधनों और तकनीकी ज्ञान की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन प्रयासों को प्रभावी बनाने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण और जागरूकता प्रदान करना आवश्यक है। पंचायती राज प्रणाली

ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास को मजबूत करने और भारत को पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

5. सामाजिक समरसता

पंचायती राज सामाजिक समरसता स्थापित करने में सहायक है। इसमें सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलता है, जिससे भेदभाव कम होता है और समाज में समानता और सामंजस्य बढ़ता है। पंचायतें जाति और धर्म के आधार पर होने वाले विवादों को हल करने में भी प्रभावी हैं।

6. डिजिटल भारत

डिजिटल भारत अभियान ने पंचायती राज प्रणाली को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डिजिटल तकनीक के उपयोग ने न केवल पंचायतों की प्रशासनिक दक्षता में सुधार किया है, बल्कि ग्रामीण जनता के लिए सेवाओं की उपलब्धता को भी आसान बनाया है। डिजिटल भारत के तहत पंचायतों में ई-गवर्नेंस का उपयोग बढ़ा है, जिससे योजनाओं की निगरानी, रिकॉर्ड-कीपिंग और वित्तीय लेन-देन पारदर्शी और तेज हुए हैं। पंचायतें अब डिजिटल पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से योजनाओं और सेवाओं की जानकारी जनता तक पहुंचा रही हैं। इससे ग्रामीण जनता को सरकार की योजनाओं और उनके लाभों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। डिजिटल तकनीक का उपयोग पंचायतों के कामकाज को अधिक व्यवस्थित बनाता है। उदाहरण के लिए, ऑनलाइन बैठकें, डिजिटल रिकॉर्ड, और जीआईएस मैपिंग जैसी सुविधाएं योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती हैं। इसके अलावा, ऑनलाइन प्रशिक्षण और वेबिनार के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों को नई तकनीकों और नीतियों से अवगत कराया जा रहा है। डिजिटल भारत ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी बढ़ावा दिया है। टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन शिक्षा जैसी सेवाओं से ग्रामीण जनता को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। इसके साथ ही, डिजिटल भुगतान प्रणाली ने भ्रष्टाचार को कम करने और वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा देने में मदद की है।

डिजिटल भारत अभियान पंचायती राज प्रणाली को सशक्त और पारदर्शी बनाकर ग्रामीण विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। यह अभियान ग्रामीण भारत को डिजिटल क्रांति का हिस्सा बनाते हुए आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

चुनौतियाँ और सुधार की संभावनाएँ पंचायती राज प्रणाली

पंचायती राज प्रणाली ग्रामीण भारत में विकेंद्रीकृत शासन और लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। हालांकि, इसे प्रभावी रूप से लागू करने में कई चुनौतियाँ हैं।

चुनौतियाँ

1. भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचार पंचायती राज प्रणाली की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। कई बार वित्तीय संसाधनों और विकास योजनाओं का दुरुपयोग होता है। भ्रष्टाचार के कारण जरूरतमंद लोगों तक सुविधाएँ नहीं पहुँच पातीं और योजनाएँ केवल कागजों तक सीमित रह जाती हैं। पारदर्शिता की कमी और स्थानीय स्तर पर जवाबदेही की कमजोर प्रणाली इस समस्या को और गंभीर बनाती है।

2. संसाधनों की कमी

कई पंचायतों को विकास योजनाओं को लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय और भौतिक संसाधन नहीं मिलते। सरकारी अनुदान अक्सर देरी से मिलता है, और पंचायतें स्वायत्तता के बावजूद बाहरी मदद पर निर्भर रहती हैं। इसके कारण बुनियादी ढाँचे का विकास और सेवा वितरण प्रभावित होता है।

3. शिक्षा की कमी

पंचायती राज प्रतिनिधियों और ग्रामीण जनता में शिक्षा और जागरूकता की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। निर्णय लेने और योजनाओं को समझने की क्षमता का अभाव विकास में बाधा उत्पन्न करता है। कई बार अशिक्षित प्रतिनिधि प्रभावी योजना निर्माण और क्रियान्वयन में असफल रहते हैं।

सुधार :-

1. प्रशिक्षण और शिक्षा

पंचायती राज प्रणाली के प्रतिनिधियों और ग्रामीण जनता के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा का प्रावधान बेहद आवश्यक है। अशिक्षा और अपर्याप्त जानकारी के कारण पंचायत प्रतिनिधि विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में असफल हो सकते हैं। नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें योजनाओं के निर्माण, संसाधन प्रबंधन और पारदर्शिता के महत्व को समझाया जा सकता है। महिलाओं और अनुसूचित जातिध्वनजाति के प्रतिनिधियों के लिए विशेष प्रशिक्षण आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि वे आत्मविश्वास के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभा सकें। इसके साथ ही, ग्रामसभा के सदस्यों को भी उनकी भूमिका और अधिकारों के बारे में शिक्षित करना जरूरी है, ताकि वे पंचायत के कार्यों की निगरानी कर सकें।

2. प्रौद्योगिकी का उपयोग

प्रौद्योगिकी के उपयोग से पंचायती राज प्रणाली को पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से योजनाओं का संचालन, निगरानी और मूल्यांकन किया जा सकता है। ई-गवर्नेंस की मदद से वित्तीय लेन-देन और रिकॉर्ड-कीपिंग को डिजिटल किया जा सकता है, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी। पंचायत प्रतिनिधियों को डिजिटल तकनीक का उपयोग सिखाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। इसके अलावा, मोबाइल एप्लिकेशन और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ग्रामीण जनता को योजनाओं और उनके लाभों के बारे में जानकारी दी जा सकती है।

3. वित्तीय स्वतंत्रता

पंचायतों को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करना सुधार का एक अहम हिस्सा है। उन्हें अपने क्षेत्र में कर संग्रह, उपयोग शुल्क और अन्य राजस्व स्रोत विकसित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके अलावा, सरकारी अनुदान समय पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि

योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू किया जा सके। स्वायत्त वित्तीय शक्तियां पंचायतों को विकास कार्यों में तेजी लाने में मदद करेंगी।

निष्कर्ष :-

पंचायती राज प्रणाली भारत में लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने का एक सशक्त माध्यम है। यह व्यवस्था महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के विचारों से प्रेरित होकर बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। संविधान के 73वें संशोधन के बाद, इस प्रणाली को कानूनी रूप से संरक्षित किया गया, जिससे यह ग्रामीण विकास और विकेंद्रीकृत शासन का अभिन्न अंग बन गई। पंचायती राज प्रणाली ने ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक समानता और भागीदारी को बढ़ावा दिया है। महिलाओं और समाज के वंचित वर्गों के लिए आरक्षण ने न केवल उनकी राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित किया है, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति को भी बेहतर बनाया है। इसके साथ ही, यह प्रणाली शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हालांकि, पंचायती राज प्रणाली को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि भ्रष्टाचार, संसाधनों की कमी और प्रतिनिधियों में शिक्षा की कमी। इन चुनौतियों के बावजूद, इस प्रणाली में सुधार की व्यापक संभावनाएं हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम, डिजिटल तकनीक का उपयोग, और वित्तीय स्वतंत्रता जैसे कदम इसे और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बना सकते हैं। वर्तमान समय में पंचायती राज प्रणाली न केवल ग्रामीण समस्याओं का समाधान करने में सहायक है, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक मजबूत आधार भी प्रदान करती है। यह प्रणाली समाज में समानता, भागीदारी और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देती है। यदि इसे उचित सुधारों और संसाधनों के साथ समर्थन दिया जाए, तो यह ग्रामीण भारत को एक सशक्त और समृद्ध समाज में बदलने में सक्षम होगी।

संदर्भ सूची

1. डा. राजेन्द्र प्रसाद सिंह (1987) “बिहार में ग्राम पंचायत” बिहार हिन्दी ग्रन्थालय, पटना बिहार, पृष्ठ संख्या 65
2. डा. सीताराम सिंह (2012) “बिहार में ग्राम पंचायत एवं सुशासन” बिहार हिन्दी ग्रन्थालय, पटना बिहार, पृष्ठ संख्या 163
3. ओम प्रकाश प्रसाद (2013) “बिहार एक ऐतिहासिक अध्ययन” राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ, 134
4. डॉ. महेश्वर दत्त, गांधी का पंचायती राज, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, पृ. 123–124
5. हरीश कुमार खत्री, भारत में पंचायती राज, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल, पृ. 111–112
6. गांधीजी, पंचायत राज, नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद, पृ. 33–34
7. महीपाल, पंचायती राज चुनौतियां एवं संभवानाएं, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, पृ. 26–27
8. सिंह मनोज कुमार, पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास, अर्जुन पब्लिकेशन्स हाउस, पृ. 73–74
9. रजनी कोठारी, भारत में राजनीति, कल और आज, वाणी प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 164–165
10. बासुकी नाथ, चौधरी एवं युवराज कुमार, भारतीय शासन एवं राजनीति, ओरिएण्ट पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ. 247–248